अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2022 (GCMS 2022/201)(आईटीआई पोर्टल नं. 212293866761370) उम्मेद सिह निवासी वार्ड नं. 1, दुर्गा मंदिर के पास, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 99835–13750) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

05.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उम्मेद सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2022 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2469 दिनांक 27.06.2022 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को स्थानान्तरित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपीलार्थी को निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमान्जी आपके अधीनस्थ आने वाली कैनाल कॉलोनी (सिंचाई विभाग) जल संसाधन विभाग तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के राजकीय आवासगृहों में अवैध रूप से कब्जाधारियों के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की प्रतियां एवं शिकायतों पर कितने आवासगृह खाली करवाये गये है, की प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध करावें।
2. कैनाल कॉलोनी (सिंचाई विभाग) जल संसाधन विभाग, अनूपगढ के आवासगृहों में वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों, जो कि अनाधिकृत रूप से आवासरत है, उनसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवासगृह रिक्त करवाने हेतु प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित सूचनाऐं उपलब्ध करवाये।

3. कैनाल कॉलोनी (सिंचाई विभाग) जल संसाधन विभाग, अनूगपढ के आवासगृहों में वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक सेवानिवृत हुए कार्मिकों, जो कि अनाधिकृत रूप से आवासरत है, उनसे आवासगृह रिक्त करवाने तक पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित दर से बनाया गया किराया, की गई वसूली एवं वसूली हेतु की गई कार्यवाही की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 31.08.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार जवाब किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार साद्र प्रेषित है:–

1. श्रीमान्जी आवदेक श्री उम्मेद सिंह वार्ड नं. 01, दुर्गा मंदिर के पास, अनूपगढ(पिन 335701)जिला श्रीगंगानगर द्वारा आवेदन दिनांक 24.06.2022 में वांछित सूचना निम्नानुसार है:

    - श्रीमान्जी आपके अधीनस्थ आने वाली कैनाल कॉलोनी (सिंचाई विभाग) जल संसाधन विभाग तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के राजकीय आवास गृहों में अवैध रूप से कब्जाधारियों के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की प्रतियां एवं शिकायतों पर किस-किस आवासगृह खाली करवाये गये है, की प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

- कैनाल कॉलोनी (सिंचाई विभाग) जल संसाधन विभाग, अनूगपढ के आवासगृहों में वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक सेवानिवृत हुए कार्मिकों, जो कि अनाधिकृत रूप से आवासरत है, उनसे आवासगृह रिक्त करवाने हेतु प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित सूचनाऐं उपलब्ध करवाये।
- कैनाल कॉलोनी (सिंचाई विभाग) जल संसाधन विभाग, अनूगपढ के आवासगृहों में वर्ष 2009 से वर्ष 2021 तक सेवानिवृत हुए कार्मिकों, जो कि अनाधिकृत रूप से आवासरत है, उनसे आवासगृह रिक्त करवाने तक पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित दर से बनाया गया किराया, की गई वसूली एवं वसूली हेतु की गई कार्यवाही की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायें।

2. श्रीमान्जी आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया आवेदन अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड श्रीविजयनगर को कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/1217 दिनांक 05[illegible]202[illegible] के जरिये हस्तांतरित कर दिया गया है। जिसकी सूचना आवेदक को कार्यालय हाजा के पत्रांक 1218 दिनांक 05[illegible].2022 के जरिये दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीमान्‌जी आवदेक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम में किये गये आवेदन की सूचना अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग खण्ड श्रीविजयनगर द्वारा दी जानी है। अतः उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का श्रम करावें।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा** अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 31.08.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि उनके **द्वारा चाही गई** सूचना का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, खण्ड श्रीविजयनगर से होने के कारण उन्होनें ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, खण्ड श्रीविजयनगर को स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, खण्ड श्रीविजयनगर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु** अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, खण्ड श्रीविजयनगर **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार प[illegible]की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, [illegible] **को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर